उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ

विज्ञापन संख्या–4–परीक्षा/2014–15

आशुलिपिक (सामान्य–चयन) परीक्षा 2015

आनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि 16–03–2015
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि 17–04–2015
आवेदन स्वीकार (सबमिट) किये जाने की अन्तिम तिथि 21–04–2015
आनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि 13–03–2015
परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि 15–04–2015

आशुलिपिक वेतनबैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–2800 के बिन्दु–7 की तालिका में दिखाये गये 12 विभागों के सम्मुख अंकित श्रेणीवार विवरण के अनुसार रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से सामान्य–चयन के अन्तर्गत आन लाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। समस्त 12 विभागों के लिए अभ्यर्थी को केवल **एक ही** आवेदन (सबमिट) करना है।

विशेष सूचना

बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन (सबमिट) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है।

2. आन लाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण–पत्र/अंकतालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में पृथक् से विस्तृत

सूचना दिनांक 13–03–2015 से अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचनाः–

यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु आन लाइन आवेदन पद्धति (आन लाइन एप्लिकेशन सिस्टम) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेशित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी आन लाइन आवेदन ही करें।

''आन लाइन आवेदन'' भरने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें।

आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर ''आल नोटीफिकेशन/ एडवरटिजमेन्ट डिटेल्स अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर आन लाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

1– यूजर इन्स्ट्रक्शन
2– व्यू एडवरटिजमेंट
3– एप्लाई

यूजर इन्स्ट्रक्शन में अभ्यर्थियों को आन लाइन फार्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके बाद अभ्यर्थी **व्यू एडवरटिजमेंट** को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु **एप्लाई** पर क्लिक करें। आन लाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगाः–

प्रथम स्तर– एप्लाई क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फार्म (परिशिष्ट–2) प्रदर्शित होगा।

फार्म भरने के पश्चात् (सबमिट) **बटन पर** क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण परिशिष्ट–1 में परीक्षा के सापेक्ष कैण्डीडेट पूर्ण हो जायेगा। तत्पचात् कैण्डीडेट रजिस्ट्रेशन एक्नालेजमेन्ट (परिशिष्ट–3) प्रदर्शित होगा जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

द्वितीय स्तर– परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिए गये लिंक के माध्यम से स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई–चालान या आन लाइन माध्यमों (इण्टरनेट बैंकिंग/कार्ड्स) से जमा किया जा सकता है। ई–चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। ई–चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की जिले की किसी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई–चालान में मुद्रित होगी) जमा करके ई–चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त करना होगा तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई–चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रान्जेक्सन आई.डी/जरनल नम्बर (डीयू.....)छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन–पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। आन लाइन जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.......)ट्रान्जैक्शन नम्बर दिखाया जायेगा जिससे ई–रिसीट का प्रिन्ट भी लिया जा सकता है।

तृतीय स्तर– बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपरान्ह 2 बजे के पश्चात्) अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म को क्लिक करने पर प्रदर्शित फार्मेट में आन लाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। जिसका नमूना (परिशिष्ट–6) पर है। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (**इमेज**) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो आवेदन पत्र को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर

स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट–7) में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद ''व्यू एप्लीकेशन फार्म'' को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही–सही भरी गयी हैं और पूरी तरह से सन्तुश्ट होने के बाद आन लाइन आवेदन आयोग को प्रेशित करने हेतु ''सबमिट'' बटन को क्लिक करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही–सही निर्देशानुसार आन लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक ''सबमिट'' बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा ''सबमिट'' बटन को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आवेदन आयोग कार्यालय को प्राप्त नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ''सबमिट'' बटन को क्लिक करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्टआउट परिशिष्ट–7ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्टआउट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

3. एक बार आवेदन ''सबमिट'' करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4- **आवेदन शुल्क**–आन लाइन आवेदन के कैण्डीडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है–

क्र0सं0	श्रेणी	परीक्षा शुल्क(रू0)
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	160.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00
(3)	अनुसूचित जाति	70.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	70.00

(5) विकलांग शून्य

(6) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित– क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

(7) महिला– क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

नोट–भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों से भी आरक्षित वर्ग के समतुल्य शुल्क लिया जायेगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अन्तिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन संशोधित सूचना के साथ आन–लाइन प्रेशित कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन ''सबमिट'' करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे।

7. **रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण–**प्रश्नगत परीक्षा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित 12 विभागों में उनके सम्मुख अंकित श्रेणीवार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन के सम्बन्ध में है–

क्रम सं0	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैण्ड/ वेतनमान/ ग्रेड पे	पदों की संख्या					अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	पद स्थायी/ अस्थायी
1	कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।	आशुलिपिक	रू0–5200–20200 ग्रेड पे रू0–2800	277	102	13	120	512	स्थायी
2	निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश , लखनऊ।	आशुलिपिक	रू0–5200–20200 ग्रेड पे रू0–2800	01	–	–	–	01	स्थायी
3	चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ।	आशुलिपिक	रू0–5200–20200 ग्रेड पे रू0–2800	30	10	01	15	56	स्थायी

4	आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।	आशुलिपिक	रू0—5200—20200 ग्रेड पे रू0—2800	04	01	—	01	06	स्थायी
5	निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	आशुलिपिक	रू0—5200—20200 ग्रेड पे रू0—2800	08	01	—	—	09	स्थायी
6	परिवहन,आयुक्त कार्यालय उ0प्र0 (मुख्यालय के पद)	आशुलिपिक	रू0—5200—20200 ग्रेड पे रू0—2800	04	01	—	02	07	स्थायी
7	परिवहन, आयुक्त कार्यालय उ0प्र0 (सम्भागीय भाखा के पद)	आशुलिपिक	रू0—5200—20200 ग्रेड पे रू0—2800	10	02	—	03	15	स्थायी
8	निदेशक, खेल, उ0प्र0, खेल निदेशालय, लखनऊ।	आशुलिपिक	रू0—5200—20200 ग्रेड पे रू0—2800	02	—	—	—	02	स्थायी
9	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	आशुलिपिक	रू0—5200—20200 ग्रेड पे रू0—2800	03	01	—	—	04	स्थायी
10	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0, लखनऊ	आशुलिपिक	रू0—5200—20200 ग्रेड पे रू0—2800	05	03	—	04	12	07पद अस्थायी तथा 05 पद स्थायी
11	निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ	आशुलिपिक	रू0—5200—20200 ग्रेड पे रू0—2800	03	—	—	02	05	स्थायी
12	महानिदेशक,पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ	आशुलिपिक	रू0—5200—20200 ग्रेड पे रू0—2800	04	01	—	01	06	स्थायी
	योग—							635	

टिप्पणी—(1) उपर्युक्त विभागों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को वरीयता साक्षात्कार के समय देनी होगी। संस्तुति भेजते समय आयोग पद की उपलब्धता व श्रेश्ठता का संज्ञान लेते हुये उपर्युक्त विभागों को, यथासम्भव अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार पर, उन्हें आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणी—(2) रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक):— आशुलिपिक पद हेतु विहित अनिवार्य अर्हताएं निम्नवत् होनी आवश्यक है :—

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिशद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

(दो) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में कमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।

(तीन) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो

या

माध्यमिक शिक्षा परिशद उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया हो।

अधिमानी अर्हताः–अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो,

या

(दो) राश्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

चयन प्रक्रियाः प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवानियमावली, 2014 में विहित भाग–5 भर्ती की प्रक्रिया के अन्तर्गत नियम–17 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। उपर्युक्त की अद्यतन नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। परीक्षा की तिथि यथा समय सूचित की जायेगी।

11–आशुलिपिक के पदों पर चयन के लिए **कुल एक सौ अंक** होंगे। अभ्यर्थियों की श्रेश्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगीः–

(1) प्रथम चरण– लिखित परीक्षा वस्तुनिश्ठ प्रकार की **चालीस अंकों** की होगी। जिसका विवरण पृथक से प्रकाशित किया जायेगा।

(2) द्वितीय चरण–आशुलिपि और टंकण परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। टंकण परीक्षा कम्प्यूटर/लैपटाप पर होगी,(केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन के लिए

विचार किया जायेगा, जिन्होंने, यथा स्थिति आशुलिपि और टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो।)

(क) शैक्षिक अर्हता के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगेः–

	शैक्षिक अर्हता	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	प्रदान किये जाने वाले अंक
एक	इण्टरमीडिएट	साठ प्रतिशत और इससे ऊपर	**बीस अंक**
		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	पन्द्रह अंक
		तैंतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम	दस अंक
दो	स्नातक उपाधि	साठ प्रतिशत और इससे ऊपर	**दस अंक**
		पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम	आठ अंक
		तैंतीस प्रतिशत या इससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम	पांच अंक

(ख) किसी खिलाड़ी को अधिकतम पॉच अंकों के अध्यधीन निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगाः–

एक	यदि अभ्यर्थी अन्तर्राश्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	**पांच अंक**
दो	यदि अभ्यर्थी राश्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	चार अंक
तीन	यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो	तीन अंक
चार	यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय / कालेज / स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो	दो अंक

<u>(3) तृतीय चरण –</u> साक्षात्कार **25** अंको का होगा।

12— आयु सीमाः— आयुगणना की निश्चायक तिथि एक जुलाई, 2015 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2015 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई, 1975 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1997 के बाद नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत कुशल खिलाड़ियों को 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शारीरिक रूप से विकलांग (फिजिकली हैण्डीकैप्ड) अभ्यर्थियों के लिए आयु की अधिकतम सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2015 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो।

13— आरक्षण—उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गो को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादे ाों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा—उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों तथा वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों के अनुसार रिक्तियॉ बनने पर (कोटा बनने पर) आरक्षण अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) होने तथा रिक्तियों के सापेक्ष कोटा बनने की स्थिति में ही आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट—(1) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिश्ट—8 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

(2) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(5)समाज के विकलांग व्यक्ति, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(6)उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(7)उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री हैं तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(8)ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम

सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 के साथ संलग्न प्रारूप पर है तथा यह कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी हैं या फिर तथा अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र या पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र) या पौत्री अर्थात् (पुत्र की पुत्री) विवाहित या अविवाहित है।

(9)ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008 –का–2–2008, दिनांक 03 फरवरी, 2008 में निर्धारित प्रारूप–1 पर है तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

(10) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं उन्हें अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर साक्षात्कार के समय अथवा मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परन्तु इस आधार पर विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जायेगा।

(11)– राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ0प्र0 शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2–ई.एम./2001–का–4–2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(12) ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जायेंगे। बशर्ते की राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबन्ध से मुक्ति प्रदान न कर दी गयी हो।

(13)– अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(14)– एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(15)–चयनित महिलाओं, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(16) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों तथा विकलांगता से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(17) आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु–7 में उल्लिखित पदो ंके सापेक्ष विन्दु–8 में विहित अनिवार्य अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश–

1. किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।
2. आयोग कार्यालय में आवेदन ''सबमिट'' हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है।
3. हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
4. आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
5. समाज के विकलांग अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व

सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–1997 की धारा–2 में उल्लिखित विकलांगता ग्रस्त होने संबंधी प्रमाण–पत्र यथासंशोधित सहपठित शासनोदश दिनांक 03 फरवरी, 2008 जो निर्धारित प्रारूप पर विकलांगता प्रमाण–पत्र देने हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित पदों पर ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

6. परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेशपत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
7. जो अभ्यर्थी कालान्तर में अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
8. आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने या त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन ''सबमिट'' किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने तथा आवेदन के घोशणा पत्र पर हस्ताक्षर न होने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

10. कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।

11. आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा (अनुक्रमांक यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

12. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

13. ऐसे अभ्यर्थी जो इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तथा आवेदन ''सबमिट'' करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

14. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जांय कि वे विज्ञापन की शर्तो के अनुरूप अर्ह हैं।

15. किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।

16. यदि अभ्यर्थी को आन लाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नम्बर 0522–2720814 द्वारा अथवा वेबसाइट पर कान्टेक्ट–अस से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

17. आन लाइन आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क बैक में जमा करने की अन्तिम तिथि 17.04.2015 तथा आवेदन स्वीकार ''सबमिट'' किये जाने की अन्तिम तिथि 21.04.2015 है।

Detailed Application Form:

At the Top of the page there is a Declaration for the candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the proceedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to Notification.

Personal Details

This section shows information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital Status, email ID and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

Education & experience Details

It shows education and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a “Declaration’ for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on “Preview” button.

Perview page will display all facts/Particulars that the candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on “Submit” button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using “Back” button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE “PRINT” OPTION AVAILABLE)

For other informations candidates are advised to select desired option in ‘Home page’of Commission’s website http://upsssc.gov.in CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT
All Notfication/Advertisments
Candidate Registration (First Stage)
Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)

Submit Application Form (Third Stage)
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Download Forms for Eligibility Checking
Download Interview Letter
Duplicate Regi. Slip & Application form
Download Syllabus

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION: On –line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisment, after which the web-link will be disabled.

सचिव
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

Post/Vacancy: Steno(General Selection) Examination 2015

Total No. of Vacancies: 635

sl. No.	Department's Name	Post	Number of Posts(Category wise)					Remark
			General	S.C.	S.T	O.B.C	T0tal	Post Permanant/ Temperary
1	Commissioner Trade Tax. U.P.Lucknow	Steno	277	102	13	120	512	Permanent
2	Director Fisheries Department U.P.Lucknow	Steno	01	–	–	–	01	Permanant
3	Consolidation Commissioner U.P.Lucknow	Steno	30	10	01	15	56	Permanant
4	Commissioner Rural Development Department U.P.Lucknow	Steno	04	01	–	01	06	Permanant Permanant
5	Diirector,Social Welfare, U.P.Lucknow	Steno	08	01	–	–	09	Permanant
6	Transport Commissioner U.P.Lucknow (For Head Office)	Steno	04	01	–	02	07	Permanant
7	Transport Commissioner U.P.Lucknow (For Reginal Office)	Steno	10	02	–	03	15	Permanant
8	Director,Sport, U.P.Lucknow	Steno	02	–	–	–	02	Permanant
9	Director,Information, U. P.Lucknow	Steno	03	01	–	–	04	Permanant
10	Director,Harticulture, U.P.Lucknow	Steno	05	03	–	04	12	07 posts Temperary and 05 posts Permanant
11	Director,Institutional Finance & Insurance U.P.Lucknow	Steno	03	–	–	02	05	Permanant
12	Director General Tourism Development U.P.Lucknow	Steno	04	01	–	01	06	Permanant
	T0tal						635	

Note: At the time of interview the Commission shall obtain the preference regarding the departments mentioned above. As for as possible try to allocate the department on the basis of the merit availability of the post and preference given by the candidate will be considered at the time of recommendation but in this regard the decision of the commission shall be final.

परिशिष्ट–8

उ0प्र0, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय) पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यता रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ0प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No......................................

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum. ....

Son/Wife/Daughter of Shri .... age ....

Sex .... identification mark (S) .... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor of cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partialy Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of .... year .... months.

3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.

4. Sh./Smt./Kum. .... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with figers. Yes/No

(ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yes/No

(iii) L-can perform work by lifting Yes/No

(iv) KC-can perform work by kneeling and couching. Yes/No

(v) B-can perform work by bending. Yes/No

(vi) S-can perform work by sitting. Yes/No

(vii) ST-can perform work by standing. Yes/No

(viii) W-can perform work by walking Yes/No

(ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No

(x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No

(Dr..............)	(Dr.................)	(Dr.......)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/HQ
		Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री विवाहित/अविवाहित उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर	पूरा नाम ....
स्थान	मुहर ....
दिनांक	जिलाधिकारी ....
	सील ....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप – 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामिन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल ऐसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम .... आयोजित राष्ट्रीय .... में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अर्न्तविश्वविद्याल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक ....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तविश्वविद्यालय .... (क्रीडा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–प्रत्र डीन ऑफ स्पोर्टस् अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद .... संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–खूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रशन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल ग्रेम्स की .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव